**37 4 सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के उच्च स्तरीय एक्जीक्यूटिवों के लिए निजी वाणिज्यिक उपक्रमों में कार्य करने संबंधी प्रतिबंध।**

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 15 मई 2008 (प्रतिलिपि संलग्न है) के का.ज्ञा. की सम सं. का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. सरकार ने कई मामले में सेवानिवृत्ति के कम से कम पांच वर्ष पूर्व एक से अधिक सीपीएसई में कार्यशील निदेशक/सीएमडी के तौर पर काम किया होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद किसी नियुक्ति/पद स्वीकार करने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन पर निर्णय से अवगत कराने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग के लिए 30 दिनों की समय सीमा संबंधी स्थिति की समीक्षा की है तथा इसप्रकार संबंधित मंत्रालय/विभाग को ऐसे आवेदनों पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व 15 मई 2008 के का.ज्ञा. में कहे अनुसार सभी पहलुओं/तत्वों पर विचार करने के लिए 30 दिनों से अधिक की जरूरत होगी। तदनुसार समय सीमा निर्धारित करने वाले दिनांक 15 मई 2008 के डीपीई का.ज्ञा. के पैरा 7 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया जो इसप्रकार होगा।

''सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी की नियुक्ति करने अथवा पद पर बनाए रखने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन को स्वीकार करने पर अंतिम निर्णय सामान्यतया प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सामान्यतया लेगा, और इसे आवेदक को इस संबंध में पूर्ण रूप से सही तौर पर आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवगत कराएगा। यदि इस संबंध में निर्णय को 60 दिनों तक अवगत नहीं कराया जाता है तो आवेदक यह मान सकता है कि उसे इस हेतु अनुज्ञा प्रदान कर ली गई है।''

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के लिए सीपीएसई के उच्च स्तरीय एक्जिक्यूटिवों के आवेदन को संसोधित करते समय उक्त दिशानिर्देशों का ध्यान रखें तथा इन दिशानिर्देशों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को अवगत कराएं।

**(डीपीई का. ज्ञा.सं. 2(22)/99–जीएम, दिनांकः 7 जनवरी, 2013)**

*****